"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2006—आश्विन 21, शक 1928

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2006

आदेश

क्रमांक एफ-4-41/2005/20.—छत्तीसगढ़ प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तक संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 13 सन् 1973) सहपठित छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की विज्ञप्ति क्रमांक 90/विद्योचित/पाठ्यक्रम, दिनांक 15-03-2002 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सलाह का सम्यक् ध्यान रखते हुए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को शिक्षा सत्र 2006-07 के लिए प्रयोग के तौर पर अध्यापन हेतु विहित करती है :—

1.	गणित	12वीं
2.	भूगोल	11वीं
3.	राजनीति शास्त्र	12वीं
4.	अर्थशास्त्र	12वीं

Raipur, the 9th October 2006

ORDER

No. F-4-41/2005/20.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Chhattisgarh Prathamik. Middle School Tatha Madhyamik Shikha (Pathya Pustakon Sambandi Vyavastha) Adhiniyam, 1973 (No. 13 of 1973) read with Chhattisgarh Board of Secondary Education State Government hereby prescribes the following text books to teach on experiment basis for the acedemic session 2006-07 with due advice from Chhattisgarh Board of Secondary Education :—

1.	MATHS	12th
2.	GEOGRAPHY	11th
3.	POLITICAL SCIENCE	12th
4.	ECONOMICS	12th

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.